



UPME010080412026

न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

स्थानांतरण प्रार्थनापत्र संख्या 609 सन् 2026
दिविजय शर्मा उर्फ ऋषि शर्मा बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य

दिनांक 30.07.2026

आज यह पत्रावली स्थानांतरण प्रार्थनापत्र पर सुनवायी हेतु प्रस्तुत हुयी। प्रार्थी की ओर से इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वह स्थानांतरण प्रार्थनापत्र पर बल देना नहीं चाहता है और इसी स्तर पर प्रार्थना पत्र वापिस लेने के आधार पर निस्तारित कराना चाहता है। उक्त के आधार पर स्थानांतरण प्रार्थनापत्र निस्तारित किये जाने की याचना की गयी है।

सुना।

चूंकि प्रार्थी स्वयं अपने स्थानांतरण प्रार्थनापत्र पर बल नहीं देना चाहता तथा उसे वापस लेकर निस्तारित कराये जाने का इच्छुक है। जब स्वयं प्रार्थी ही अपने आवेदन पर बल नहीं दे रहा है, तब ऐसे आवेदन को गुण-दोष के आधार पर विचाराधीन बनाए रखने अथवा उस पर आदेश करने का कोई विधिसंगत औचित्य शेष नहीं रह जाता है।

अतः प्रार्थी द्वारा व्यक्त स्पष्ट इच्छा तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में न्यायालय का मत है कि प्रस्तुत स्थानांतरण प्रार्थनापत्र, प्रार्थी द्वारा बल न दिए जाने के कारण, निरस्त किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत होगा।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रार्थनापत्र संख्या 3-ख, प्रार्थी के बल न दिए जाने के कारण, निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो

(अरविन्द कुमार मिश्रा, द्वितीय)
सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।

J.O. Code. U.P. 6030